

25/05/22

आज पत्रावली पेश हुई। वकील अप्तारी उप आर्थे।
चूँकि आज मूल पत्रावली अदम हमरी एवं अदम पर्वी
में खारिज की जा चुकी है। अतः इस पत्रावली का
कोई औचित्य नहीं रह गया है। अतः प्राप्ते 212
तक भी अदम हमरी एवं अदम पर्वी में खारिज
किया जाता है। पूर्व में जारी खगम आदेश निरस्त
किये जाते हैं। पत्रावली केसल शुमार होकर

मन्तर से काम हो। बाद तकमील धमा मिला खैर
मठार हो। सलमन मूल देवा रहे।

सहायक कलेक्टर
मुण्डावर (अलवर) राज०